"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012 -2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2013—फाल्गुन 3, शक 1934

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-40/2011/वा. क. (आब.)/पांच (2).—छत्तीसगढ़ वाइनरी नियम, 2013 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (क), (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी), (कक्ष क्रमांक ए. डी. 2-30, 31), महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

नियम प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ वाइनरी नियम, 2013 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रं. 2 सन् 1915);

(ख) "बॉटलिंग" से अभिप्रेत है वाइनरी से वाइन की अंतिम निकासी के लिये, विनिर्मित वाइन को बोतलों, कॉस्क या केग्स में अन्तरण (भराई) तथा इसमें रीबॉटलिंग एवं पुनः भराई सम्मिलित है;

(ग) "बॉटलिंग-कक्ष" से अभिप्रेत है वाइनरी का वह हिस्सा, जो बॉटलिंग क्रिया संपन्न करने के लिये पृथक से निर्धारित हो;

(घ) "बॉटलिंग-संग्रहण-कक्ष" से अभिप्रेत है वह कक्ष, जहां बोतलबंद वाइन को बॉटलिंग कक्ष से संग्रहण एवं प्रदाय हेतु स्थानांतरित किया जाता है;

(ङ) "कूलर" से अभिप्रेत है ऐसा कोई पात्र जिसमें वर्ट्स, कूलिंग के लिए प्रवाहित होता है तथा इसमें रेफ्रिजरेटर भी सम्मिलित है;

(च) "किण्वन कुण्ड (फर्मेन्टिंग वेट)" से अभिप्रेत है एक बड़ा पात्र या कास्क जिसमें फलों के रस का किण्वन किया जाता है;

(छ) "फिनिंग्स" से अभिप्रेत है ऐसा पदार्थ जो वाइन को शुद्ध करने के लिये मिलाया जाता है;

(ज) "एफ.एल. अनुज्ञप्ति और प्ररूप" से इन नियमों में उल्लिखित एफ.एल. अनुज्ञप्ति तात्पर्यित हैं और इससे निर्दिष्ट है छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के अंतर्गत संबंधित अनुज्ञप्ति एवं प्ररूप तथा इनका वही अर्थ होगा जो कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) अथवा छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1970 में उनके लिये समनुदेशित है;

(झ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति;

(ञ) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति धारण करता हो;

(ट) "अनुज्ञप्त परिसर" से अभिप्रेत है ऐसा परिसर जिसे इन नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्त किया गया है तथा जो अनुसूची (परिशिष्ट) के साथ संलग्न प्ररूप डब्ल्यू–3 में विनिर्दिष्ट है;

(ठ) "मैश" से अभिप्रेत है शर्करा घोल जो कि फलों से तैयार किया जाता है;

(ड) "मैशटन" से अभिप्रेत है ऐसा पात्र जिसमें फल सामग्रियों से उसके किण्वन योग्य तत्व निःशेषित कर दिये जाते हैं;

(ढ) "भारसाधक अधिकारी" से अभिप्रेत है सहायक जिला आबकारी अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का आबकारी अधिकारी जो वाइनरी के पर्यवेक्षण के लिये पदस्थ हो;

(ण) "वाइनरी" से अभिप्रेत है ऐसा भवन या स्थान जहां वाइन का विनिर्माण होता है तथा इसमें ऐसा प्रत्येक स्थान सम्मिलित है, जहां वाइन का संग्रहण एवं प्रदाय होता है;

(त) "वाइनर" से अभिप्रेत है वाइनरी के लिये अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति;

(थ) "वाइन" से अभिप्रेत है शुगर या जैगरी के साथ या उसके बिना अंगूर या अन्य फलों का किण्वित रस, जो कि फलों में प्राकृतिक तौर पर उपस्थित यीस्ट द्वारा या उसमें बाहर से मिलाने पर किण्वन से उत्पन्न होता है तथा जिसकी अल्कोहलिक तीव्रता स्प्रिट प्रूफ के 42 प्रतिशत से अधिक नही होती।

3. वाइनरी का निर्माण या स्थापना.– (1) इन नियमों के अंतर्गत वाइनरी का निर्माण तथा/या स्थापना केवल राज्य शासन के स्पष्ट अनुमति से ही किया जाएगा।

(2) वाइनरी के निर्माण तथा/या स्थापना के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति, आवश्यक अनुमति के लिए प्ररूप डब्ल्यू–1 में आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न करना होगा :–

(क) स्केल के अनुरूप ट्रेसिंग क्लाथ शीट पर दिये गये प्रस्तावित यूनिट की विस्तृत ले आउट प्लान चार प्रतियों में;

(ख) राज्य शासन द्वारा विहित फीस के भुगतान के चालान की मूल प्रति;

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्लान (नक्शा) में प्रस्तावित यूनिट जिसमें भूमि भवन, फिक्सर (साज–सज्जा) इत्यादि सम्मिलित है, का पूर्ण विवरण अन्तर्विष्ट होगा। इसमें समस्त कक्षों, फ्लोर, तल, खिड़कियां एवं अन्य खुले भाग के वास्तविक स्थान तथा माप को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। स्थान की संक्षिप्त जानकारी, जहां कुण्ड, पात्र, टैंक, पाइप लाइन, वाल्व, रेवेन्यू लॉक, बिजली या गैस कन्ड्यूट्स, रेफ्रीजरेशन या हीटिंग सिस्टम एवं कोई अन्य उपकरण, गैजेट इक्विपमेंट या मशीनरी के उपकरण का संस्थापन, स्थापन अथवा उपयोग किया जायेगा साथ ही उनकी क्षमता, आकार, उपयोग के बारे में जानकारी, विवरण प्लान में स्पष्ट होनी चाहिए। रीति जिसमें परिसर में समाविष्ट कक्ष, हॉल अथवा भवन को उपयोग में लाया जायेगा, लेआऊट में विनिर्दिष्ट करना होगा। स्थल जहां रेवेन्यू लॉक संलग्न किया जायेगा, को चिन्ह आरएल से दर्शित करना होगा;

(घ) वाइनरी का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट चार प्रतियों में;

(ड.) वाइन के विनिर्माण के लिए अपनाई जाने वाली वांछित प्रकिया का विस्तृत में दिया गया विवरण चार प्रतियों में;

(च) किसी अन्य प्रमाणपत्र के लिये केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण अथवा विभाग, छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रवृत्त किसी अधिनियमिति या नियमों के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी या राज्य सरकार के विभाग से अपेक्षित प्राधिकार (अनुमति) या अनापत्ति।

(4) आबकारी आयुक्त, ऐसा परीक्षण जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् आवेदन को अपनी टिप्पणी तथा उस पर अनुशंसा के साथ राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) (एक) यदि राज्य सरकार को आवेदक की प्रस्तावित योजना का समाधान हो जाता है तो वह (राज्य सरकार) आवेदक को प्ररूप डब्ल्यू–2 में "आशय पत्र" जारी कर सकेगा।

(दो) जहां यह प्रतीत हो कि आवेदन में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को शामिल (पूर्ण) नहीं किया गया है या उसके (आवेदन के) साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न नहीं किया गया है तो राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, लिखित में, रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना को तामिल करायेगा जिसमें आवेदक से अपेक्षा की जायेगी कि वह उक्त सूचना के संसूचित किये जाने की तारीख से 30 (तीस) दिवस के भीतर सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को पूरा करते हुए, आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करे। इन नियमों के अधीन स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन को स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर इंकार नहीं किया जायेगा कि आवेदन में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को शामिल (पूरा) नहीं किया गया है या उसके (आवेदन के) साथ दस्तावेज संलग्न नहीं है।

(6) शासन के पास किसी भी आवेदक की सुनवाई के पश्चात् आवेदन निरस्त करने का अधिकार रक्षित है।

(7) "आशय पत्र" जारी करने के साथ, राज्य शासन, उप–नियम (3) के खण्ड (घ) एवं (ङ) में निर्दिष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं विनिर्माण प्रक्रिया की जानकारी को इसके अनुमोदन के प्रमाण में कार्यालयीन मुद्रा से सम्यक् रूप से मुद्रित करने के पश्चात् दो, तीन एवं चार प्रतियों में क्रमशः आवेदक, आबकारी आयुक्त एवं संबंधित जिले के जिला आबकारी प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। मूल प्रति को शासन द्वारा रखा जायेगा। जिला आबकारी प्राधिकारी, अपने कार्यालय में इन दोनों दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति रखेगा तथा राज्य शासन की मुद्रित चार प्रतियों को भारसाधक अधिकारी को प्लांट शुरू करते समय भेजेगा।

(8) इस प्रकार जारी किया गया "आशय पत्र", संसूचना की तारीख से दो वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगा, इसी अवधि के भीतर उसका धारक (आवेदक), भवन का निर्माण पूर्ण करेगा तथा राज्य शासन द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए प्लांट एवं मशीनरी को संस्थापित करेगा तथा इकाई को प्रारंभ करने की स्थिति में लायेगा।

(9) यदि आवेदक दो वर्ष की निर्धारित कालावधि के भीतर कार्य को पूर्ण करने में विफल रहता है, तो उस स्थिति में प्रदाय किया हुआ "आशय पत्र", उसके धारक को किसी हानि या क्षति के लिये क्षतिपूर्ति प्रदान किये बिना, निरस्त किये जाने हेतु दायी होगा:

परन्तु जहां आबकारी आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त होने पर यदि राज्य शासन का यह समाधान हो जाता है कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य पूरा करने में आवेदक की ओर से हुई विफलता का पर्याप्त कारण है कि ऐसी परिस्थितियां थी जो आशय पत्र के धारक के नियंत्रण के बाहर थीं अथवा अन्य विधिमान्य कारण थे तो उसकी (आशय पत्र की) अवधि एक वर्ष से अनधिक अवधि तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति दे सकेगा।

(10) उप–नियम (5) के अंतर्गत जारी किया गया "आशय पत्र", अनुज्ञप्ति के प्रदान किये जाने के लिए इसके धारक के पक्ष में कोई विशेषाधिकार सृजित नहीं करेगा तथा लोक हित में किसी भी समय ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताओ सूचना उसे देने के पश्चात तथा उसकी सुनवाई यदि वह इस प्रकार चाहता हो, के पश्चात् निरस्त या वापस तिये जाने के दायित्वाधीन होगा।

(11) **क्षति** या हानि के लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी यदि उप–नियम (10) के अंतर्गत "आशय पत्र" को निरस्त या वापस लिया जाता है।

(12) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, "आशय पत्र" का धारक वाइनरी के निर्माण के लिये किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण नही करेगा या उसे उप–पट्टे पर नही देगा अथवा किसी करार में शामिल नही होगा।

4. वाइनरी के लिए अनुज्ञप्ति की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.–(1) परिसर के निर्माण एवं संयंत्र की स्थापना पूर्ण होने की तारीख से "आशय पत्र" का धारक, आबकारी आयुक्त को सूचना

देगा एवं अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए उससे औपचारिक रूप से निवेदन करेगा।

(2) उप–नियम (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज संबंधित जिले के जिला आबकारी प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे जिसे आबकारी आयुक्त को अग्रेषित किया जायेगाः–

(क) राज्य शासन द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि "आशय पत्र" के साथ संलग्न अनुमोदित योजना के अनुसार परिसर का निर्माण कर दिया गया है एवं संयंत्र स्थापित कर दिया गया है और कि संयंत्र कार्य करने हेतु तैयार है।

(ख) विहित अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान के चालान की एक प्रति।

(3) आबकारी आयुक्त, उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट के साथ–साथ दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् या ऐसी और जांच कराने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, प्ररूप डब्ल्यू–3 में अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकेगा या अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने से इंकार कर सकेगा।

(4) इस प्रकार स्वीकृति प्राप्त अनुज्ञप्ति, वित्तीय वर्ष जिसमें इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है, की समाप्ति तक की अवधि के लिये होगी तथा विहित अनुज्ञप्ति फीस जमा होने पर किसी भी समय एक वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा नवीनीकृत की जा सकेगी। नवीनीकरण के लिए प्राप्त निवेदन का विनिश्चय, मेरिट के आधार पर उन तथ्यों पर विचार कर किया जायेगा कि क्या अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक् रूप से अवलोकन कर लिया है तथा समस्त नियमों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों का पालन कर लिया है।

(5) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन, संबंधित जिले के जिला आबकारी प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन, संबंधित जिला आबकारी प्राधिकारी के कार्यालय में वित्तीय वर्ष जिसके लिये नवीनीकरण कराना चाहता है, के तत्काल पूर्ववर्ती जनवरी के अंत तक प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि भवन, संयंत्र में कुछ परिवर्धन या परिवर्तन किया जाना हो, तो सम्पन्न किये जाने वाले समस्त परिवर्धन तथा परिवर्तन को ब्लूप्रिंट में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई परिवर्धन या परिवर्तन प्रस्तावित न हो तो इस आशय का एक प्रमाणपत्र भारसाधक अधिकारी द्वारा संलग्न किया जायेगा।

(6) अनुज्ञप्ति तब तक स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं की जायेगी जब तक कि आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में आबकारी आयुक्त द्वारा विहित राशि जमा नहीं की हो। अधिनियम या इन नियमों के प्रावधानों के अधीन ड्यूटी फीस, शास्ति आदि द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध उद्भूत कोई दायित्व, सुरक्षानिधि की राशि से वसूली योग्य होगा, तथा सुरक्षा राशि में आई कमी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। यदि अनुज्ञप्ति किन्हीं शर्तों के गंभीर उल्लंघन के लिए या किसी अन्य कारण से निरस्त की जाती है, तो सुरक्षा राशि राजसात् कर ली जायेगी।

(7) अनुज्ञप्ति की प्रारंभिक स्वीकृति या नवीनीकरण के तत्काल बाद, अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप डब्ल्यू–14 में एक काउण्टर पार्ट एग्रीमेंट निष्पादित करेगा और जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक वाइनरी का कार्य प्रारंभ नहीं करेगा।

(8) आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति का बंधक, विक्रय, गिरवी, अन्तरण या उप–पट्टा नहीं करेगा अथवा अनुज्ञप्ति के कार्य के लिए किसी भागीदारी में शामिल नहीं होगा। ऐसी अनुमति यदि स्वीकृत की जाती है तो अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया जायेगा।

(9) आबकारी आयुक्त की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, भवन या संयंत्र मशीनरी में कोई परिवर्धन अथवा परिवर्तन नहीं किया जायेगाः

परंतु लघु परिवर्धन, लघु परिवर्तन या अनिवार्य प्रकृति के मरम्मत की अनुमति, आबकारी आयुक्त को तत्काल रिपोर्ट देकर तथा पश्चातवर्ती स्वीकृति लेकर भारसाधक अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।

(10) इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत या नवीनीकृत अनुज्ञप्ति, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि उसे निलंबित, निरस्त या वापस नहीं लिया जाता या पूर्वतर समर्पण नहीं कर दिया जाता।

5. वाइनरी की व्यवस्था.– (1) वाइनरी अनुज्ञप्तिधारी, निम्नलिखित प्रत्येक उद्देश्यों हेतु कक्षों को पृथक–पृथक रखेगा:–

(एक) किण्वन प्रकिया.
(दो) विनिर्माण प्रकिया.
(तीन) स्प्रिट का संग्रहण.
(चार) वाइन की बोतलों में भराई.
(पांच) सीलबंद बोतल एवं अन्य पात्रों में विनिर्मित वाईन का संग्रहण.

(2) किसी भी कक्ष का उपयोग एक से अधिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(3) प्रत्येक कक्ष में हवा का प्रवाह अच्छा होना चाहिए तथा सभी खिड़कियों एवं उसकी खुली जगहों में लोहे की ग्रिल लगाया जाना चाहिये तथा सुरक्षित रूप से वर्जित रखा जाना चाहिये।

(4) प्रत्येक कक्ष के बाहर एक साईन बोर्ड होना चाहिये, जिसमें कक्ष का प्रयोजन तेल रंग से लिखा जायेगा।

(5) अनुज्ञप्त परिसर के भीतर सभी गैस एवं बिजली कनेक्शन इस प्रकार निर्धारित किये जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि गैस सप्लाई या बिजली, आवश्यकतानुसार बंद की जा सके तथा सभी रेगूलेटर तथा स्विच दिन में कार्य समाप्ति के पश्चात् सुरक्षित रूप से ताला बंद हो।

(6) अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक प्रवेश द्वार और एक आपातकाल द्वार होना चाहिए, वाइनरी के भीतर प्रत्येक अन्य द्वार रेवेन्यू–लॉक से सुरक्षित रूप से ताला बंद होना चाहिये।

(7) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुछ सहज दृश्य भाग पर तेल रंग से सुवाच्य अक्षरों में उसके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक वैट, मैशटन, अंडर बैक, कापर, हीटिंग–टैंक, कूलर, किण्वन पात्र आदि में नाम तथा उद्देश्य, जिसके लिये उपयोग किया जाना है, लिखा जायेगा। जहां समान उद्देश्य के लिये एक से अधिक कुण्ड, पात्र, कक्ष या स्थान उपयोग किये जाते हों तो सरल क्रमांक लिखकर उसमें विभेद किया जायेगा।

(8) सभी कुण्ड, पात्र एवं अन्य संग्रहक पात्रों को सुनिश्चित करने के लिये ऐसी रीति में रखा जायेगा एवं निर्धारित किया जायेगा कि उसमें रखे पदार्थ को ठीक से मापा या नापा जा सके तथा इनके आकार, स्थिति या धारण क्षमता में तब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जब तक कि दो सप्ताह के पूर्व भारसाधक अधिकारी को इसकी सूचना न दे दी गई हो।

(9) सभी कुण्ड, पात्र एवं संग्रहक पात्र का माप भारसाधक अधिकारी एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा एक सारणी तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक पात्र की कुल धारण क्षमता, यथास्थिति, लीटर में या किलोग्राम में हो तथा क्षमता प्रत्येक सेंटीमीटर की गहराई में हो, प्रदर्शित की जाएगी।

(10) कोई पात्र जिसके आकार, क्षमता या स्थिति में परिवर्तन किया गया है, तो उसका उपयोग तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उपरोक्त उप–नियम (9) में उपबंधित अनुसार उसका पुनः माप नहीं किया गया हो तथा सारणी तैयार नहीं की गई हो।

6. अनुज्ञप्तिधारी के लिए बंधनकारी सामान्य शर्तें.– (1) अनुज्ञप्तिधारी नियम 3 के उप–नियम (7) के अंतर्गत अनुमोदित निर्माण प्रकिया के अनुसार वाइन का विनिर्माण करेगा।

(2) प्रत्येक वाइनरी, आबकारी आयुक्त द्वारा पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिसे भारसाधक अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया हो, के नियंत्रणाधीन होगी। भारसाधक

अधिकारी को उसके पर्यवेक्षण क्रियाकलापों में सहायता करने हेतु कनिष्ठ श्रेणी के अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की जायेगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारी भारसाधक अधिकारी एवं पदस्थ अन्य आबकारी पर्यवेक्षण स्टाफ को उपयुक्त आवासीय सुविधा के साथ-साथ ऐसी अन्य आवश्यक सुविधाएं अनुज्ञप्त परिसर में या उसके आसपास उपलब्ध करायेगा, जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित हो।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, भारसाधक अधिकारी के लिए अनुज्ञप्त परिसर के भीतर सम्यक् रूप से व्यवस्थित कार्यालय उपलब्ध करवाएगा।

(5) आबकारी पर्यवेक्षण स्टाफ जो कि सार्वजनिक अवकाश पर कार्य करेंगे या सामान्य कार्य समय के अतिरिक्त कार्य करेंगे, उन्हें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दर के अनुसार *अतिरिक्त समय भत्ता* का भुगतान किया जायेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य शासन तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उल्लिखित रीति में एफ्लूएंट (अवशिष्ट तरल पदार्थ) एवं सभी अन्य अपशिष्ट पदार्थों के उपचार एवं निपटारे की उचित व्यवस्था करेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी सम्पूर्ण परिसर का जिसमें भवन, संरचना, सयंत्र एवं मशीन सम्मिलित है, आग या दुर्घटना के लिए बीमा करवाएगा तथा वह आग से बचाव के लिए उचित उपाय एवं संतोषजनक अग्नि निरोधक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में पर्याप्त एवं बेहतर नाप, वजन, माप, प्रकाश, सीढ़िया और अन्य साधन जैसा कि भारसाधक अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये, व्यवस्था करेगा एवं संधारित करेगा, ताकि भारसाधक अधिकारी या कोई अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारी, विनिर्मित वाइन के सभी पदार्थ, तरल जो कि पुनरीक्षित, संग्रहित या बोतलबंद हो, का वजन, नाप या माप द्वारा हिसाब लगा सके अथवा जांच कर सके।

(9) अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर में विनिर्मित वाइन की बातलों की भराई का अधिकार होगा।

(10) समस्त विनिर्माण की क्रिया, उचित स्वास्थ्यकर वातावरण में संपन्न की जाएगी। केवल शुद्ध छना हुआ पानी उपयोग में लाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में विनिर्माण के प्रक्रम में ऐसे किसी पदार्थ या घटक का उपयोग नहीं किया जायेगा जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।

(11) यदि वाइन के विनिर्माण में बाधा आती है तो अनुज्ञप्तिधारी तत्काल (बिना समय गवांये) आबकारी आयुक्त को उसके कारण सहित सूचना देगा।

(12) आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से कोई निर्देश प्राप्त होने पर, भवन या संयंत्र या किण्वन, संग्रहण, पास्तुरीकरण, बॉटलिंग, प्रदाय आदि की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने के लिये *एक बार* उसका परीक्षण करेगा तथा उसमें (निर्देश में) विनिर्दिष्ट तारीख पर ऐसी कमी को दूर करेगा।

(13) ऐसे मामले में जहां प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गई हो, तो भी ऐसी कंपनी के लिए बंधनकारी होगा कि वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को विवरण की संसूचना दे, कंपनी के डायरेक्टर्स में कोई परिवर्तन जैसे नाम एवं पते, की जानकारी परिर्वतन के पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित करे।

(14) आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से अनुज्ञप्तिधारी किसी सक्षम व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकेगा।

(15) सभी व्यक्तियों का विवरण जिसमें वाइनर, मैनेजर, केमिस्ट, टेक्नीशियन, लेबर अथवा किसी अन्य पद पर नियोजित हो या के रूप में हो, उनके नाम तथा योग्यता सम्मिलित करते हुए, भारसाधक अधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा व्यक्ति जिसे भारसाधक अधिकारी द्वारा कार्य करने की स्वीकृति (अनुमोदन) नहीं दी गई हो को वहां कार्य करने की या लेखा पुस्तिका में प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(16) अनुज्ञप्त परिसर को केवल वहां कार्य करने वाले तथा ऐसे कार्य के संबंध में वहां पर

अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश या बाहर जाने के लिए खोला जायेगा तथा अन्य व्यक्ति केवल भारसाधक अधिकारी की अनुमति से ही प्रवेश कर सकेंगे। भारसाधक अधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे व्यक्ति को परिसर छोड़ने को कहे यदि वह (व्यक्ति) उपद्रवी व्यवहार या कोई अपराध कारित करने में संलग्न रहता है। भारसाधक अधिकारी को अधिकार होगा कि वह परिसर छोड़ने के पूर्व उस व्यक्ति की तलाशी करावे।

(17) अनुज्ञप्तिधारी, अपने कर्मचारी में से किसी के द्वारा अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में, तत्काल भारसाधक अधिकारी को सूचना देगा।

(18) अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत सशक्त अधिकारी के द्वारा निरीक्षण तथा परीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर एवं समस्त पदार्थों को खुला रखेगा। ऐसे निरीक्षण एवं परीक्षण में वह (अनुज्ञप्तिधारी) सभी संभव (सभी प्रकार की) सहायता करेगा।

(19) अनुज्ञप्तिधारी, एक निरीक्षण पुस्तिका संधारित करेगा जो भारसाधक अधिकारी द्वारा क्रमांकित एव मुद्रांकित की जायेगी तथा जिसमें निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपनी निरीक्षण टीप एवं विशेष टिप्पणी को अंकित कर सकेगा। अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण पुस्तिका, विभिन्न प्रकार की संधारित पंजियाँ एवं अनुज्ञप्ति को भारसाधक अधिकारी को सौंपेगा।

(20) अनुज्ञप्तिधारी वाइनरी में पूर्ववर्ती माह के दौरान लेनदेन का समावेशी विवरण प्ररूप डब्ल्यू–13 में प्रत्येक माह की पांच तारीख तक भारसाधक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(21) अधिनियम की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्मित सामान्य प्रयोज्यता नियम तथा सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त नियम तथा इस निमित्त लागू होने वाली सभी अन्य शक्तियां, ऐसी शर्तें जो या तो विशेष रूप से उपबंधित की जायें या जिससे इन नियमों के प्रावधानों का कोई उल्लंघन न हो को छोड़कर, वाइनरी अनुज्ञप्तिधारी को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

7. **वाइन का विनिर्माण.**— (1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विनिर्माण फार्मूला तथा प्रक्रिया के अनुसार वाइन का विनिर्माण किया जायेगा।

(2) वाइन की सुरक्षा (फोर्टीफिकेशन) हेतु आवश्यक स्प्रिट की प्राप्ति, संग्रहण एवं उपयोग छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

8. **गुणवत्ता नियंत्रण.**— (1) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर के भीतर एक सुव्यवस्थित प्रयोगशाला स्थापित करेगा जिसे अर्हित तकनीकी कर्मियों द्वारा संचालित किया जायेगा।

(2) अनुज्ञप्त परिसर के भीतर स्थापित प्रयोगशाला में निम्नानुसार यथा उल्लिखित रासायनिक विश्लेषण क्रियान्वित किया जायेगा:—

(एक) बेस, पानी, फिनिंग्स, रंग तथा फ्लेवरिंग तत्व, स्प्रिट की जांच, वाइन के विनिर्माण में इनको प्रयुक्त किये जाने के पूर्व आवश्यक होगा।

(दो) विनिर्मित वाइन के प्रत्येक बैच की जांच, संग्रहित कुण्ड में इसे स्थानांतरित करने के पूर्व की जायेगी ।

(तीन) किसी भी प्रक्रम (चरण) में वर्ट्स या स्प्रिट का सैम्पल लिया जा सकेगा तथा उसकी जांच की जा सकेगी।

(3) भारसाधक अधिकारी निम्नलिखित अवसरों पर आबकारी आयुक्त के रायपुर कार्यालय में स्थित प्रयोगशाला या ऐसी कोई अन्य प्रयोगशाला, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाये, में विश्लेषण के लिये भी सैम्पल ले सकेगा:—

(एक) जब भारसाधक अधिकारी का मत हो कि विनिर्माण एवं संग्रहित वाइन आवश्यक मानक या गुणवत्ता की नहीं है।

(दो) जब आबकारी आयुक्त द्वारा जांच के लिये रैण्डम सैम्पलिंग का आदेश किया जाये।

(तीन) जब भारसाधक अधिकारी स्वयं जांच करने के प्रयोजन के लिए रैण्डम सैम्पल लें।

(4) यदि भारसाधक अधिकारी विश्वास करता हो कि विनिर्मित वाइन आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है, तो वह वाइन को संग्रहण कुण्ड में स्थानांतरण की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसने सैम्पल न ले लिया हो तथा उप–नियम (3) के अंतर्गत उल्लिखित प्रयोगशाला से विश्लेषण प्राप्त न कर लिया हो।

(5) कोई भी बेस, पानी, फिनिंग्स, रंग तथा फ्लेवरिंग तत्व, निम्न मानक का पाया जाता है, तो विनिर्माण की प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जायेगा।

(6) यदि समस्त विनिर्मित वाइन, निम्न मानक की हो, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित आईएस मानक या मानकों के अनुरूप न हो, या रासायनिक विश्लेषण के अनुसार मानव उपभोग हेतु उचित न हो, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा उसे ऐसी रीति में नष्ट या निराकृत कर दिया जायेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाये।

(7) प्ररूप डब्ल्यू–5 में प्रयोगशाला में जांच (परीक्षण) का लेखा संधारित करेगा तथा भारसाधक अधिकारी प्रविष्टियों को सत्यापित करेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला में जांच के पश्चात् सैम्पल की बची मात्रा को मुख्य भाग (बल्क) के साथ मिला दिया जायेगा।

(9) भारसाधक अधिकारी या अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिये गये सैम्पल का खर्च निःशुल्क होगा।

(10) आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित रीति में भारसाधक अधिकारी की उपस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सभी सैम्पल लिये जायेंगे।

9. **अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित की जाने वाली पंजियां.**— (1) अनुज्ञप्तिधारी वाइनरी में प्रयुक्त/संव्यवहत सभी प्रक्रियाओं तथा क्रियाओं जिसमें किण्वन, विनिर्माण, संग्रहण, बाटलिंग, वाइनरी से वाइन का प्रदाय सम्मिलित है, का नीचे यथा विनिर्दिष्ट पंजियों में लेखा संधारित करेगा, अर्थात् :—

(क) वाइनरी के कुण्ड, पात्र एवं संग्रहक पात्र की पंजी प्ररूप डब्ल्यू–4 में।

(ख) वाइन की मात्रा, जो कि विश्लेषण के लिए उपयोग की गई है, को दर्शित करने हेतु पंजी प्ररूप डब्ल्यू–5 में।

(ग) फ्लेवरिंग तत्व जो कि वाइन के विनिर्माण के उपयोग में लाया गया हो, के लेखे दर्शित करने हेतु पंजी प्ररूप डब्ल्यू–6 में।

(घ) बाटलिंग फीस का जमा दर्शित करने हेतु पंजी प्ररूप डब्ल्यू–7 में।

(ङ) वाइनरी के किण्वन कक्ष (कक्षों) में लेनदेन की पंजी प्ररूप डब्ल्यू–8 में। यह पंजी, किण्वन कक्षवार संधारित की जायेगी। जब किण्वन प्रक्रिया पूर्ण हो, तब किण्वित पदार्थ विनिर्माण कक्ष में स्थानांतरित किया जायेगा तथा इस प्रकार स्थानांतरित मात्रा, पंजी के कॉलम 7 में अंकित की जायेगी।

(च) वाइनरी के विनिर्माण कक्ष में संचालित क्रियाओं की पंजी प्ररूप डब्ल्यू–9 में।

(छ) वाइनरी के संग्रहण कक्ष में लेनदेन (आमद प्रदाय) की पंजी प्ररूप डब्ल्यू–10 में।

(ज) वाइनरी के बाटलिंग कक्ष में संचालित क्रियाओं की पंजी प्ररूप डब्ल्यू–11 में।

(झ) बोतल संग्रह कक्ष से प्राप्ति तथा प्रदाय (आमद एवं प्रदाय) की पंजी प्ररूप डब्ल्यू–12 में।

(ञ) माह के दौरान लेनदेन (आमद प्रदाय) का विवरण (रिटर्न) प्ररूप डब्ल्यू–13 में।

(2) उप–नियम (1) के *खण्ड (झ)* में उल्लिखित पंजी के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी कोई अन्य पंजी, लेखा पुस्तिका, जिसमें ऐसे विवरण अन्तर्विष्ट होंगे जो कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्देशित किये जायें, भी संधारित करेगा।

(3) इस नियम के अंतर्गत अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा विहित समस्त पंजियाँ अभिलिखित, पूर्ण तथा प्रतिदिन अनुज्ञप्तिधारी या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा लघु हस्ताक्षरित की जायेंगी।

10. **लेबल का पंजीयन.**— वाइन के लेबल का पंजीयन या पंजीयन रद्द करने के लिये छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

11. **अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किया जाने वाला पर्यवेक्षण शुल्क.**— (1) अनुज्ञप्तिधारी, केवल वाइनरी में पर्यवेक्षण कार्य हेतु पदस्थ आबकारी स्टॉफ के वेतन या अन्य दावों के रूप में उपगत व्यय के सम्पूर्ण या आंशिक भाग की अदायगी के लिये राज्य शासन द्वारा विहित दर पर पर्यवेक्षण शुल्क अग्रिम रूप में भुगतान करेगा।
(2) पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली उस जिले में किया जायेगा, जहां वाइनरी स्थित हो।

12. **अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बाटलिंग फीस का भुगतान.**— अनुज्ञप्तिधारी, बॉटलिंग फीस के अतिरिक्त, अन्य फीस तथा ड्यूटी (शुल्क) का भुगतान ऐसी दर पर करेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

13. **वाइन का परिवहन.**— (1) समस्त वाइन या बोतलबंद वाइन का परिवहन, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप–नियम (8) एवं नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
(2) ऐसे परिवहन पर दायी परिवहन फीस या ड्यूटी (शुल्क), उस जिले में जमा किया जायेगा, जहां अनुज्ञप्तिधारी क्रेता का अनुज्ञप्त परिसर स्थित हो।

14. **वाइन का निर्यात.**— (1) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 12 एवं 13 के प्रावधान, वाइन के निर्यात के लिए लागू होंगे।
(2) निर्यात फीस, सभी निर्यात पर देय होगी, जो कि प्ररूप एफ.एल. 22 में निर्यात परमिट जारी करने वाले जिले में जमा होगी।

15. **वाइन का आयात.**— (1) छत्तीसगढ़ में वाइन के आयात की अनुमति, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 10 एवं 11 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार दी जा सकेगी।
(2) इस प्रकार आयात पर जमा योग्य आयात शुल्क, ड्यूटी या बॉटलिंग फीस, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने वाले जिले में जमा होगा।

16. **वाइनरी से वाइन का प्रदाय.**— (1) वाइनरी से बोतलबंद वाइन का प्रदाय नीचे उल्लिखित अनुज्ञप्तिधारी को किया जायेगा, अर्थात् :—
(क) परिवहन फीस जमा करने पर एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी को.
(ख) ड्यूटी जमा करने पर एफ.एल. 11 अनुज्ञप्तिधारी को.
(ग) निर्यात फीस का भुगतान करने पर तथा प्ररूप एफ.एल 23 में बांड निष्पादित करने पर अन्य राज्यों के समुचित अनुज्ञप्तिधारियों को.
(घ) विदेशी मदिरा भण्डारगृह.
(2) ड्यूटी, बाटलिंग फीस, परमिट फीस, परिवहन फीस तथा निर्यात फीस, उस जिले में जमा होगा जहां एफ.एल.10, एफ.एल.11, डब्ल्यू–3, एफ.एल 2, एफएल3 से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त परिसर स्थित हो।

17. **अतिशेष का व्ययन.**— (1) जब कभी भी प्ररूप डब्ल्यू–3 में अनुज्ञप्ति, इसके समाप्त होने, निरस्तीकरण या अन्य कारण, चाहे जो भी हो, के कारण विद्यमान न रहे, तो पूर्व अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, विनिर्मित कक्ष, संग्रहित कक्ष या बोतल संग्रहण कक्ष में उपलब्ध अथवा संग्रहित विनिर्मित वाइन या बोतलबंद वाइन के सभी स्टॉक को व्ययन के लिये तत्काल भारसाधक अधिकारी को सौंपेगा।
(2) विनिर्माण या संग्रहण कक्ष में उपलब्ध या संग्रहित की गई विनिर्मित वाइन के सभी स्टॉक की बोतलों में भराई (बाटलिंग) के लिये पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को दस दिन का समय दिया जायेगा।
(3) उप–नियम (1) के अन्तर्गत बोतलबंद वाइन को या उप–नियम (2) के अन्तर्गत विनिर्मित वाइन जो बोतलों में भरी हो, को भारसाधक अधिकारी को व्ययन के लिये सौंपी जाती है, तो उसका व्ययन छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18

के उप-नियम (6) के अनुसार किया जायेगा, जैसा कि यह एफ.एल. 9 या एफ.एल.9-ए अनुज्ञप्तिधारी के साथ समान परिस्थितियों में अतिशेष के लिए लागू होता है।

(4) उपरोक्त उप-नियम (2) के अन्तर्गत अनुज्ञप्त दस दिवस की कालावधि के पश्चात् भी उपलब्ध या संग्रहित विनिर्मित वाइन जो कि विनिर्माण या संग्रहण कक्ष में हो और जिसकी बॉटलिंग शेष हो, का नष्टीकरण या व्ययन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाये।

18. **वाइनरी के भीतर अनुज्ञेय (स्वीकार्य) त्रैमासिक हानि.**— (1) वाइनरी के स्टॉक का सत्यापन ऐसे अंतराल में तथा ऐसी रीति में किया जायेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देशित करें।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, स्टॉक रेकिंग को छोड़कर सभी विनिर्मित वाइन का लेखा आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा:

परन्तु प्रत्येक वाइनरी में रेकिंग, स्टोरेज, पास्तुरीकरण एवं अन्य आकस्मिकताओं के कारण होने वाली हानि की पूर्ति विनिर्मित वाइन के पांच प्रतिशत हानि के त्रैमासिक भत्ते से किया जायेगा। इस त्रैमासिक भत्ते की गणना पिछले तिमाही के अन्त में प्राप्त वास्तविक राशि (बैलेंस) प्लस विनिर्माण तथा प्राप्ति की मात्रा पर की जायेगी। वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी हानियों के अंकों का त्रैमासिक रूप से योग किया जायेगा तथा यदि वर्ष की वास्तविक हानि, पांच प्रतिशत की अनुज्ञेय (स्वीकार्य) सीमा से अधिक हो, तो अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(3) वाइनरी में होने वाली ब्लेंडिंग क्रिया में एक प्रतिशत हानि हेतु भत्ता, प्रत्येक क्रिया में कुण्ड में शामिल की गई मात्रा पर स्वीकार किया जायेगा ।

19. **परिवहन आदि पर अनुज्ञेय हानि एवं अधिकतम सीमा.**— (1) बोतलबंद वाइन के परिवहन या निर्यात के समय होने वाली हानि की अनुज्ञेय सीमा वही होगी जो छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16 के उप-नियम (1), (3) एवं (4) में यथा उपबंधित है।

(2) यदि बोतलबंद वाइन के परिवहन या निर्यात के समय अधिक हानि के प्रकरण सूचित होते हैं तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16 के उप-नियम (5) के प्रावधान उनके निराकरण के लिये लागू होंगे।

(3) एफ.एल.6 या एफ.एल.10 में बोतलबंद वाइन के स्टॉक की सभी प्रकार की हानियों के मामले को छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 17 के उप-नियम (2) के अंतर्गत निपटाया जायेगा।

20. **विविध.**— (1) जहां पर वाइन की भराई होती है वहां पर उसकी (वाइन की) भरी बोतलों (कंटेनर्स) में चिपके हुए लेबल पर उसकी तीव्रता दर्शाई जायेगी, तथापि, दर्शाये गये प्रूफ तीव्रता से 0.5 डिग्री तक का विचलन का अन्तर (कमी या वृद्धि) अनुज्ञेय होगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के द्वारा बाध्य होगा।

21. **अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन पर लगाई जाने वाली शास्ति.**— (1) आबकारी आयुक्त, इन नियमों या उसके द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्तो के उल्लंघन के लिये रूपये 50,000 से अनधिक शास्ति अधिरापित कर सकेगा तथा आगे ऐसे उल्लंघन की पुनरावृत्ति के मामले में, प्रतिदिन 1,000 रूपये से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति, ऐसे पुनरावृत्त उल्लंघन की अवधि के दौरान अधिरोपित कर सकेगा।

(2) इन नियमों के नियम 19 में उल्लिखित सीमा से अधिक की समस्त कमियों (हानि) पर अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा अधिरोपित प्रति बल्क लीटर 5 रूपये से अनधिक की दर से शास्ति का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

(3) यदि अनुज्ञप्तिधारी सिद्ध करता है कि ऐसी अधिक कमी (हानि) अपरिहार्य कारणों से हुई है तो उप–नियम (2) के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति में छूट दी जा सकती है।

22 **निरसन एवं व्यावृति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, जहां तक इन नियमों के प्रावधानों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

प्ररूप डब्ल्यू—1

{नियम 3 (2) देखिये}

वाइनरी के निर्माण एवं स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

प्रति,

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग, रायपुर

द्वारा आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

मैं/हम .... (पता)................................... **निवेदन** करते हैं कि मुझे/हमें वाइन के विनिर्माण हेतु वाइनरी के निर्माण एवं कार्य के **लिये** अनुज्ञप्ति प्रदान करने का कष्ट करें। मैं/हम स्थल एवं नक्शे प्लान की चार प्रतियां संलग्न कर रहे हैं। मैं/हम विनिर्माण प्रक्रिया की जानकारी की भी हस्ताक्षर युक्त चार प्रतियां संलग्न कर रहे हैं, जिसे मेरे/हमारे द्वारा वाइन के विनिर्माण हेतु अपनाया जाएगा। अन्य संबंधित जानकारियॉ नीचे दिये गये अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि मेरे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है:—

1. (क) आवेदक का नाम व पता
   (ख) उत्तरदायी का नाम व पता
   (ग) क्या सार्वजनिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या भागीदारी/प्रोपाइटरी/फर्म से संबंधित है।
2. पूंजी संरचनाः—
   (क) लिमिटेड कंपनी के मामले में—
      (एक) अधिकृत
      (दो) प्रदाय
      (तीन) पैड अप
      (चार) उधार से, यदि कोई है
   (ख) अन्य के मामले में—
      (एक) पूंजी
      (दो) उधार से, यदि कोई है
   (ग) प्रस्तावित निवेश का विवरण
      (1) अचल संपत्तियां:
         (एक) भूमि
         (दो) इमारत
         (तीन) प्लांट और मशीनरी
         (चार) अन्य, यदि कोई है
      (2) कार्यशील पूंजी.

3. कारखाने की अवस्थिति :
4. प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता :—

विनिर्माण योग्य वस्तु	अनुमानित वार्षिक उत्पादन
(1)	(2)

5. प्लांट और मशीनरी :
   (एक) आयातित या आयातित स्त्रोत के प्लांट और मशीनों का मूल्य.
   (दो) देशी स्त्रोत के प्लांट और मशीनों का मूल्य.

6. उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल :
   (एक) प्रतिवर्ष आयातित या आयातित स्त्रोत के कच्चे माल की मात्रा और मूल्य.
   (दो) प्रतिवर्ष देशी स्त्रोत के कच्चे माल की मात्रा व मूल्य.
7. पानी और विद्युत की आवश्यकताएं :
   (एक) आवश्यकता की जानकारी
   (दो) क्या आवश्यक अनुमतियां ली जा चुकी है.
8. तकनीकी सहायता :
   क्या कोई विदेशी सहयोगी है, या योजना है तथा यदि ऐसा है तो क्या विदेशी विनिमय की आवश्यकता है.
9. समयबद्धता :
   (एक) आशय पत्र के जारी होने के पश्चात् ही सुरक्षित भूमि, इमारतें इत्यादि हेतु कितने समय की आवश्कयता है.
   (दो) मशीनों का निर्माण करना, निर्माण कार्य पूर्ण करना और इकाई को प्रारंभ के लिये तैयार करने हेतु कितने समय की आवश्यकता है.
10. रोजगार मूलक दक्षता :
   (एक) सुपरवाइजर्स.
   (दो) कुशल कामगार.
   (तीन) अकुशल कामगार.
11. (एक) शासन से यदि कोई विशेष सुविधा की आवश्यकता हो.
   (दो) योजना का विशेष तथ्य, यदि कोई है.
12. (एक) निर्धारित आवेदन के पक्ष में फीस का चालान कमांक एवं दिनांक.
   (दो) क्या चालान की मूलप्रति संलग्न की गई है.

....

(आवेदक के हस्ताक्षर व दिनांक)

संलग्न :—

(1) निर्धारित स्थल एवं उसके विस्तार की योजना चार प्रतियों में.

(2) विनिर्माण प्रक्रिया के हस्ताक्षर युक्त विवरण चार प्रतियों में.

प्ररूप डब्ल्यू–2

{ नियम 3 (5) (एक) देखिये }

द्वारा,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग रायपुर

प्रति,

....

....

विषय :– वाइनरी के निर्माण एवं कार्य हेतु आशय पत्र।

संदर्भ :– (1) आपका आवेदन पत्र कमांक.........................दिनांक.....................

वाइन के विनिर्माण हेतु आपके पत्र के साथ .... स्थित वाइनरी के निर्माण हेतु संलग्न योजना का अवलोकन राज्य शासन द्वारा किया गया।

(2) राज्य शासन, मशीनों के आयात की अनुज्ञा, कच्चे माल की आपूर्ति या विदेशी तकनीकी सहयोग के किसी आश्वासन बिना निम्नलिखित विवरण/क्षमता के अनुसार वाइन के विनिर्माण हेतु वाइनरी के निर्माण के आपके प्रस्ताव को अस्थायी रूप से अनुमोदित करती है, जो कि नियमों में उल्लिखित औपचारिकताओं की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए होगी :–

स. क.	विनिर्मित किये जाने वाले वाइन के प्रकार	प्रति वर्ष विनिर्माण की मात्रा
(1)	(2)	(3)

(3) भारत शासन या छत्तीसगढ़ शासन की किसी अधिनियम या नियम या आदेश के अंतर्गत अन्य अनुज्ञप्ति या अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(4) आशय पत्र जारी दिनांक से केवल दो वर्ष के लिये वैध होगा। तथापि, प्ररूप डब्ल्यू–3 में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिये आपके पक्ष में किसी भी प्रकार से अधिकार सृजित नहीं होता है तथा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है जिसके लिये क्षतिपूर्ति या हानि का भुगतान नही किया जायेगा।

दिनांक – ....

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग रायपुर

प्ररूप डब्ल्यू—3

{ नियम 4 (3) देखिये}

वाइन के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ वाइनरी नियम, 2013 के नियम 4 के उप–नियम (3) के अंतर्गत तथा छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग के आशय पत्र क्रमांक .... दिनांक .... के संदर्भ में यह अनुज्ञप्ति एतद्द्वारा वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रूपये .... के पूर्व भुगतान पर श्री .... को/उन्हें .... स्थान पर एवं ... . से .... तक की अवधि के लिये संलग्न अनुसूची (परिशिष्ट) के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके वाइनरी में वाइन के विनिर्माण एवं बोतलों में भराई के लिये अधिकृत किया जाता है।

(1) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम के प्रावधानों, उनके अंतर्गत सभी नियमों, इस अनुज्ञप्ति की शर्तों और आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी सभी निर्देशों के अनुसार आबद्ध रहेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी शर्तों में उल्लेखित अवधि के दौरान वाइन की वार्षिक उत्पादन ... . लीटर तक अधिकतम के तत्स्थानी मात्रा से अधिक वाइन का विनिर्माण नहीं करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी वाइन के विनिर्माण में उसी पदार्थ या तत्वों का उपयोग करेगा तथा वही प्रक्रिया अपनाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आशय पत्र जारी करते समय अनुमोदित किया गया था।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में ही निर्मित वाइन की बॉटलिंग करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी विहित दर पर बॉटलिंग फीस का भुगतान करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी बोतलों एवं कंटेनरों पर केवल ऐसी लेबलों का उपयोग करेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त से पंजीकृत हो।

(7) अनुज्ञप्तिधारी बोतलबंद वाइन का संधारण, लेबलवार एवं बैचवार क्रमबद्ध रीति से स्टॉक कक्ष में करेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी वाइन की पेटियों के मध्य तथा दीवार की ओर बोतल संग्रहण कक्ष में जगह छोड़ेगा, ताकि आवाजाही सुविधाजनक हो तथा स्टॉक का सत्यापन हो सके।

(9) अनुज्ञप्तिधारी वाइन के विनिर्माण, बॉटलिंग या संग्रहण में किसी भी प्रकार का तनुकरण या मिलावट नहीं करेगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी परिस्थिति में ऐसे किसी रीति में कार्य नहीं करेगा जो कि शासन के राजस्व के हित के प्रतिकूल हो।

(11) ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर इस अनुज्ञप्ति को आबकारी आयुक्त द्वारा निलंबित या निरस्त किया जा सकेगा।

दिनांकः—

आबकारी आयुक्त
रायपुर, छत्तीसगढ़

अनुसूची

स्थल का विवरण	अनुज्ञप्त परिसर की चतुर्सीमा			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्ररूप डब्ल्यू–4
{ नियम 9 (1) (क) देखिये }

वाइनरी में कुंडों (Vats), पात्रों (Vessels) तथा संग्रहक पात्रों की पंजी

सरल क्र.	कुंडों, पात्रों या संग्रहक पात्रों का विवरण	गेजिंग किया हुआ पदार्थ	कब उपयोग किया गया	कब उपयोग बंद किया गया	कहां संस्थापित है	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्ररूप डब्ल्यू–5
{ नियम 9 (1) (ख) देखिये }

विश्लेषण के लिये प्रयुक्त वाइन की मात्रा दर्शित करने हेतु पंजी

संपल निकालने की तिथि	वाइन के प्रकार	बैच नं.	सैंपल हेतु निकाली गई मात्रा	मात्रा जो विश्लेषण हेतु प्रयुक्त हुई	वह मात्रा जो वापस मुख्य बल्क में मिला दी गई	टिप्पणी	अनुज्ञप्तिधारी के लघु हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नोट :– मात्रा लीटर एवं मिलीलीटर में दर्शायी जाये।

प्ररूप डब्ल्यू–6

{ नियम 9 (1) (ग) देखिये }

[illegible] विनिर्माण में उपयोग में आने वाले फ्लेवरिंग तत्वों की मात्रा के लेखा–जोखा दर्शित करने हेतु पंजी

दिनांक	**तत्व का नाम**	**प्रारंभिक स्टॉक**	प्राप्त मात्रा	कुल मात्रा	वाइन विनिर्माण हेतु प्रयुक्त मात्रा		अंतिम स्टॉक	टिप्पणी	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर
					वाइन के प्रकार	फ्लेवरिंग तत्व			
(1)	**(2)**	**(3)**	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप डब्ल्यू–7

{ नियम 9 (1) (घ) देखिये }

बॉटलिंग फीस के संदाय दर्शित करने हेतु पंजी

दिनांक	**बाटलिंग फीस की प्रारंभिक राशि**	**जमा किया गया बाटलिंग फीस की राशि**	**कालम 3 में दर्शाए गए रकम का चालान नं. एवं दिनांक**	जमा की गयी बाटलिंग फीस की कुल राशि (कालम 2+3)	भरी गई बोतलों की संख्या	कालम 6 में दर्शाए बोतलों पर भुगतान योग्य बॉटलिंग फीस	शेष बाटलिंग फीस	टिप्पणी	अनुज्ञप्ति धारी के हस्ताक्षर
(1)	**(2)**	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप डब्ल्यू–8

{ नियम 9 (1) (ङ.) }

वाइनरी के किण्वन कक्ष (कक्षों) में लेन देन की पंजी

दिनांक	कुंड या पात्रों जिसे भरा गया है, के कमांक	भरी गई मात्रा	जिस तिथि पर भराई हुई है अर्थात किण्वन प्रारंभ होने की तिथि	किण्वन पूर्ण होने की तिथि	बल्क भरा गया लीटर में	विनिर्माण कक्ष को स्थानांतरित की गई मात्रा	टिप्पणी	अनुज्ञप्ति धारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप डब्ल्यू–9

{ नियम 9 (1) (घ) देखिए }

वाइनरी के विनिर्माण कक्ष में कियाओं (प्रकियाओ) हेतु पंजी

किण्वन से प्राप्त किण्वित द्रव्य की मात्रा		
माह एवं दिनांक	बल्क लीटर में	तीव्रता
(1)	(2)	(3)

स्प्रिट कक्ष से प्राप्त की गई व उपयोग की गई स्प्रिट की मात्रा		
रेक्टीफाइड स्प्रिट, (तीव्रता के साथ)	एब्स्यूलूट अल्कोहॉल, (तीव्रता के साथ)	ब्रांडी (तीव्रता के साथ)
(4)	(5)	(6)

विनिर्मित वाइन			
बैच नं.	वाइन के प्रकार	मात्रा लीटर में	तीव्रता
[illegible]	(8)	(9)	(10)

[illegible]न के अंतरण की गई मात्रा			
बैच नं.	[illegible]	संग्रहण कक्ष के कुंड में अंतरण (लीटर	बॉटलिंग कक्ष में (लीटर में)

		में)	
(11)	(12)	(13)	(14)

शेष बचे वाइन की मात्रा			
बैच नं.	वाइन के प्रकार	मात्रा (लीटर में)	तीव्रता
(15)	(16)	(17)	(18)

हस्ताक्षर		टिप्पणी
अनुज्ञप्तिधारी	भारसाधक अधिकारी	
(19)	(20)	(21)

प्ररूप डब्ल्यू–10

{ नियम 9 (1) (छ) देखिए }

वाइनरी के संग्रहण कक्ष में लेनदेन की पंजी

प्रारंभिक स्कंध			
माह एवं दिनांक	बैच नं.	वाइन का प्रकार	तीव्रता
(1)	(2)	(3)	(4)

वाइन की मात्रा		
मात्रा लीटर में	बैच नं.	वाइन का प्रकार
(5)	(6)	(7)

विनिर्माण कक्ष से प्राप्त			
तीव्रता	मात्रा (लीटर में)	प्ररूप डब्ल्यू-9 में पंजी का पेज नं.	बैच नं.
(8)	(9)	(10)	(11)

बाटलिंग कक्ष में स्थानांतरित की गई वाइन की मात्रा		
वाइन के प्रकार	तीव्रता	मात्रा (लीटर में)
(12)	(13)	(14)

क्लोजिंग बैलेंस			
बैच नं.	वाइन के प्रकार	तीव्रता	मात्रा (लीटर में)
(15)	(16)	(17)	(18)

हस्ताक्षर		टिप्पणी
अनुज्ञप्तिधारी	भारसाधक अधिकारी	
(19)	(20)	(21)

प्ररूप डब्ल्यू–11

{ नियम 9 (1) (ज) देखिए }

वाइनरी के बाटलिंग कक्ष में संचालित कियाओं (प्रकियाओं) की पंजी

दिनांक	बैच नं.	ओपनिंग बैलेंस		
		वाइन का प्रकार	तीव्रता	बल्क लीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

संग्रहण कक्ष से प्राप्त वाइन की मात्रा				
बैच नं.	वाइन के प्रकार	मात्रा (बल्क लीटर में)	तीव्रता	प्ररूप डब्ल्यू-10 पंजी का पेज नं.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

बोतलबंद वाइन की मात्रा				
बैच नं.	वाइन का प्रकार	मात्रा (बल्क लीटर में)	बोतल/ कॉस्क आदि की संख्या	प्रत्येक प्रकार की बोतल/कॉस्क इत्यादि में मात्रा (कंटेन्ट)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

कॉस्क संग्रहण कक्ष में बोतलबंद वाइन का अंतरण			
बैच नं.	वाइन के प्रकार	स्थानांतरित की जा चुकी बोतल/ कॉस्क इत्यादि की संख्या	प्रत्येक प्रकार की बोतल, कॉस्क में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट)
(16)	(17)	(18)	(19)

क्लोजिंग बैलेंस				
बैच नं.	वाइन के प्रकार	मात्रा (**बल्क** लीटर **में**)	**बोतल / कॉस्क की संख्या**	प्रत्येक प्रकार की बोतल, कॉस्क में मात्रा (कंटेन्ट)
(20)	(21)	(22)	**(23)**	(24)

टिप्पणी	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर
(25)	(26)

प्ररूप डब्ल्यू–12

{ नियम 9 (1) (झ) देखिए }

बोतल संग्रहण कक्ष में प्राप्ति एवं प्रदाय (आमद एवं प्रदाय) की पंजी

वाइन का ओपनिंग बैलेंस			
माह एवं दिनांक	**बैच नं.**	बोतल / कॉस्क / कैग्स की संख्या	किसी भी प्रकार **की** बोतल / कॉस्क / कैग्स **में उपस्थित** मात्रा (कंटेन्ट) (ली. / **मि.ली. में**)
(1)	**(2)**	(3)	(4)

वाइन की मात्रा			बाटलिंग **कक्ष से प्राप्ति**	
बैच नं.	**बोतल / कॉस्क / केग्स की संख्या**	प्रत्येक प्रकार के बोतल / कॉस्क / केग्स में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट) (ली. / मि.ली. में)	प्ररूप डब्ल्यू-11 में पंजी का पेज नं.	**बैच नं.**
(5)	**(6)**	(7)	(8)	**(9)**

संग्रहण कक्ष से प्रदाय की गई वाइन की मात्रा					
बोतल / कॉस्क / केग्स की संख्या	**प्रत्येक प्रकार के बोतल / कॉस्क / केग्स में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट) (ली. / मि.ली. में)**	परिवहन / निर्यात परमिट क्र.	जिस पक्षकार को प्रदाय किया जा रहा है उसका नाम	चालान नं. दिनांक	ड्यूटी भुगतान की राशि
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	**(15)**

क्लोजिंग बैलेंस					भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर	**टिप्पणी**
(16)	(17)	**(18)**	(19)	(20)	(21)	**(22)**

प्ररूप डब्ल्यू-13

{ नियम 9 (1) (ञ) देखिए }

................माह के दौरान प्राप्ति एवं प्रदाय (आमद प्रदाय) का पत्रक (रिटर्न)

वाइन के प्रकार	बैच नं.	वाइन का ओपनिंग बैलेंस		
		मात्रा (बल्क लीटर में)	प्रत्येक प्रकार के बोतल/कॉस्क इत्यादि की संख्या	प्रत्येक प्रकार की बोतल/कॉस्क इत्यादि में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

माह दौरान विनिर्माण		
मात्रा (बल्क लीटर में)	प्रत्येक प्रकार की बोतल/कॉस्क इत्यादि की संख्या	प्रत्येक प्रकार की बोतल/कॉस्क इत्यादि में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट)
(6)	(7)	(8)

कुल स्टॉक		
मात्रा (बल्क लीटर में)	प्रत्येक प्रकार की बोतल/कॉस्क की संख्या	प्रत्येक प्रकार की बोतल/कॉस्क में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट)
(9)	(10)	(11)

परिवहन की गई मात्रा		
मात्रा (बल्क लीटर में)	प्रत्येक प्रकार की बोतल/ कॉस्क इत्यादि की संख्या	प्रत्येक प्रकार की बोतल/ कॉस्क में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट)
(12)	(13)	(14)

निर्यात की गई मात्रा		
प्रत्येक प्रकार की बोतल/ कॉस्क इत्यादि की संख्या	प्रत्येक प्रकार की बोतल/कॉस्क इत्यादि में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट)	जमा की गई निर्यात शुल्क का विवरण
(15)	(16)	(17)

माह में प्रदाय की गई कुल मात्रा		
मात्रा (बल्क लीटर में)	प्रत्येक प्रकार के बोतल/कॉस्क इत्यादि की संख्या	प्रत्येक प्रकार के बोलत/कॉस्क इत्यादि में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट)
(18)	(19)	(20)

माह में क्लोजिंग बैलेंस			
मात्रा (बल्क लीटर में)	प्रत्येक प्रकार के बोतल/ कॉस्क इत्यादि की संख्या	प्रत्येक प्रकार के बोतल/ कॉस्क इत्यादि में उपस्थित मात्रा (कंटेन्ट)	टिप्पणी
(21)	(22)	(23)	(23)

(अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर)

प्ररूप डब्ल्यू–14
{ नियम 4 (7) देखिए }
काउन्टर पार्ट एग्रीमेंट

यह विलेख दिनांक ....माह .... सन्................. को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जिनकी ओर से आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ कार्य कर रहे है (इसमें इसके पश्चात् उन्हें राज्यपाल संबोधित किया जायेगा जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि विषय या संदर्भ से असंगत न हो, पद से संबंधित उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स .... (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में जब तक विषय या संदर्भ में असंगत न हो, उनके अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित हैं) के मध्य निश्पादित किया जाता है।

आबकारी आयुक्त द्वारा प्ररूप डब्ल्यू–3 में वाइन के विनिर्माण, बॉटलिंग तथा प्रदाय हेतु दिनांक...................... को अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है।

अतएव, यह विलेख साक्षी है कि –

1. अनुज्ञप्तिधारी उक्त अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तो के अधीन अपने समस्त दायित्वों का पालन करेगा और उनको कार्यान्वित करेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के शर्तो की सम्यक् पूर्ति के लिये प्रतिभूति की राशि ....रूपये सदैव आबकारी आयुक्त के पास जमा कराए रखेगा।

3. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 या छत्तीसगढ़ वाइनरी नियम, 2013 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित कोई भी शास्ति या उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम या नियम के अधीन उसके द्वारा उपगत कोई भी अन्य दायित्व, अनुज्ञप्तिधारी की चल–अचल संपत्ति से या उसे देय किसी राशि से या उसकी प्रतिभूति राशि से कोई अन्य वैधानिक प्रतितोष जो कि राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये

प्रदाय कर सकेंगे, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्यपाल द्वारा भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

जिसके साक्ष्य में यहां पर पक्षकारों ने इस विलेख पर उनके हस्ताक्षरों के समक्ष क्रमशः उल्लेखित दिनांक को हस्ताक्षर किये।

....

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़
(छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से)

साक्षी
1. ....
2. ....

दिनांक
अनुज्ञप्तिधारी ....

पूर्ण नाम एवं पता ....
दिनांक

साक्षी :–
1. ....
2.................

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 10-40/2011/वा. क. (आब.)/पांच (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2011/वा. क. (आब.)/पांच (2), दिनांक 14-02-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 14th February, 2013

NOTIFICATION

No. F 10-40/2011/CT (Ex)/V(2).—The following draft of the Chhattisgarh Winery Rules, 2013, which the State Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a), (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), is hereby, published as required under sub-section (3) of Section 62 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of seven days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of the Under Secretary, Government of Chhattisgarh, Commercial Tax (Excise), (Room No. AD2-30, 31) Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Winery Rules, 2013.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**In these rules, unless the context otherwise requires,-
   - (a) "Act" means the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915);
   - (b) "Bottling" means transfer of manufactured wine in bottles, casks or kegs for final removal from the winery and includes rebottling and refilling;
   - (c) "Bottling-Room" means that portion of a winery which is set apart for carrying out bottling operation;
   - (d) "Bottle-Store-Room" means a room where bottled wine is trasferred from the bottling room for storage and issue;
   - (e) "Cooler" means any vessel into which worts are passed to be cooled and includes a refrigerator;
   - (f) "Fermenting Vat" means a large vessel or cask where in fruit juice is fermented;
   - (g) "Fining" means a material added to purify wine;
   - (h) "F. L. Licence and forms" the F. L. Licence mentioned in these rules shall mean and refer to concerned licence and forms under the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and shall have the same meaning assigned to them in the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) or Chhattisgarh Distillery Rules, 1970.

(i) "Licence" means a licence granted under these rules;
(j) "Licensee" means a person who holds a licence granted under these rules;
(k) "Licensed Premises" means the premises that have been licensed under these rules and which have been specified in schedule appended to Form W-3;
(l) "Mash" means sugary solution prepared from fruits;
(m) "Mashtun" means a vessel in which fermentable contents are exhausted from fruit materials;
(n) "Officer-in-charge" means an Excise Officer, not below the rank of Assistant District Excise Officer posted to supervise the winery;
(o) "Winery" means a building or place where wine is manufactured and includes every place where wine is stored and delivered;
(p) "Winer" means a person holding a licence for winery;
(q) "Wine" means the fermented juice of grapes or other fruits with or without the addition of sugar or jaggery, the fermentation being produced by the yeast naturally present on the skin of fruit or added externally and having alcoholic strength not exceeding 42 percent, of proof spirit;

3. **Construction or establishment of winery.-** (1) Winery shall be constructed and/or established only with an explicit permission of the State Government under these rules.

(2) Any person intending to construct and/or establish a winery shall apply to the State Government through the Excise Commissioner for the required permission in Form W-1.

(3) Every such application shall be accompanied by:-

(a) Detailed layout plan in quadruplicate of the proposed unit drawn on sheets of tracing cloth as per scale;

(b) A Challan, in original, of payment of fee prescribed by the State Government;

(c) The plan referred to in clause (a) shall contain complete details of the proposed unit including the land buildings, fixtures etc. It will clearly indicate the exact location and dimensions of all the rooms, floors, storey, windows and other opening. The precise location where vats, vessels, tanks, pipelines, valves, revenue locks, electric or gas conduits, refrigeration or heating systems and any other apparatus, appliance gadget equipment or machinery shall be installed, fitted or used along-with details about their capacity, size use etc. must appear in detail plan. The manner in which the rooms, halls or buildings comprised in the premises shall be utilized, must be specified in the layout. The points where revenue locks shall be attached must be indicated by the symbol RL;

(d) A detailed project report of the winery in quadruplicate;

(e) A statement in quadruplicate giving in detail the process desired to be adopted for manufacturing wine;

(f) Any other certificate, authorization or clearance required from Central Government, a local Body, Town and Country planning Authority or Department, Chhattisgarh pollution Control Board or any other authority or department of the State Government under any enactment or rules, in force.

(4) The Excise Commissioner shall after such examination as may deem proper, forward the application to the State Government with his comments and recommendation thereon.

(5) (i) If the State Government is satisfied of the proposed scheme of the applicant, it may issue "Letter of intent" in form W-2 to the applicant.

(ii) Where it appears that the application is not complete in all material particulars or is not accompanied by the required documents the State Government or the Excise Commissioner or any other officer authorised in his behalf shall serve a notice by registered post in writing, requiring the applicant to complete all material particulars, to furnish the required documents not later that 30 (thirty) days from the date of communication of the said notice. An application for the grant or renewal made under these rules shall not be refused by the sanctioning Authority only on the ground that application in not complete in all material particulars or is not accompanied by the documents.

(6) Government reserves the right to reject the application after hearing the applicant.

(7) In addition to issuance of "Letter of Intent" the State Government shall forward the duplicate, triplicate and quadruplicate copies of the project-report and statement of manufacturing process referred to in clause (d) and (e) of sub-rule (3) after duly stamping them with the official seal in token of its approval to the applicant, the Excise Commissioner and the District Excise Authority of the relevant district respectively. The original shall be retained by the Government. The District Excise Authority shall keep an attested photocopy of both these documents in his office and send the quadruplicate copies bearing the stamp of the State Government to the officer-in-charge whenever the plant is commissioned.

(8) The "Letter of Intent" thus issued shall be valid for two years from the date of communication within which period the holder thereof shall complete the construction of the building and installation of plant and machinery in all respects according to the plan approved by the State Government and make the unit ready for commissioning.

(9) In case the applicant fails to complete the job within stipulated period of two years, the "Letter of Intent" granted shall be liable to cancellation without compensation for any damage or loss to the holder thereof:

Provided that where after receiving the recommendation of the Excise Commissioner if the State Government is satisfied that failure on the part of the applicant to complete the work as per approved plan within the specified period is attributable to circumstances beyond control of the holder of the letter of intent or there are other valid reasons, it may grant extension of the period of the letter of intent up to a period not exceeding one year.

(10) The "Letter of Intent" issued under sub-rule (5) shall not create any prerogative in favour of its holder for grant of a licence and shall be liable to be revoked or withdrawn at any time in public interest after giving him, a notice to show cause against such action and hearing him if he so desires.

(11) No compensation for damage or loss shall be payable when the "Letter of Intent" is revoked or withdrawn under sub-rule (10).

(12) The holder of "Letter of Intent" shall not transfer or sub-lease it or enter into agreement with any other person for the construction of winery without the previous sanction of the State Government

Grant and renewal of licence for a winery.- (1) The holder of "Letter of Intent" shall report to the Excise Commissioner, the date on which the construction of the premises and installation of plant is complete and formally make a request to him to grant a licence.

(2) The application mentioned in sub-rule (1) with following documents shall normally be made through the District Excise Authority of the concerned district who shall forward it to the Excise Commissioner:-

(a) Report of the committee appointed by the State Government ensuring that the premises have been built and plant erected in accordance with the approved plan enclosed with the "Letter of Intent" and that the plant is ready for commissioning.

(b) A copy of challan, of payment of prescribed licence fee.

(3) The Excise Commissioner after taking into consideration the report of the Committee along with documents specified in sub-rule (2) or after making such further inquiries as he deems necessary may grant the licence in Form W-3 or may refuse to grant the licence.

(4) The licence thus granted shall be for a period ending financial year in which it is granted and may be renewed by the Excise Commissioner for one financial year at a time on payment of prescribed licence fee. The request for renewal shall be decided on merits, the factors to be considered being whether the licensee has duly observed the conditions of licence and had complied with all rules and orders or directions issued by the Excise Commissioner.

(5) The application for renewal of licence shall be submitted through the District Excise Authority of the concerned districts. The application must reach to the office of the District Excise Authority by the end of January immediately preceding the financial year for which renewal is desired. If any addition and alteration in the building, plant, has to be made, fresh blueprints showing

clearly all the additions and alternations to be carried out, shall be attached to the application. If no addition or alteration is proposed then a certificate to that effect by the officer-in-charge shall be attached.

(6) No licence shall be granted or renewed unless the applicant or the licensee has deposited a sum prescribed by the Excise Commissioner as security for due performance of licence conditions. Any liability arising against the licensee by way of duty fee, penalty etc. under the provisions of the Act or these rules, shall be recoverable from the amount of security deposit and the reduced security amount shall be indemnified to that extent by the licensee within fifteen days. In case the licence is cancelled for gross violation of any condition or any other reason, the security amount shall stand forfeited.

(7) Immediately after the initial grant of a licence or its renewal the licensee shall executive a counter part agreement in Form W-14 and shall not commence working of the Winery unless done so.

(8) The Licensee shall not hypothecate, sell, mortgage, transfer or sub-lease the licence or enter into partnership for working of the licence, without previous permission of the Excise Commissioner. Such a permission if granted shall be endorsed on the licence.

(9) No addition or alteration in the building or the plant machinery shall be done without the prior approval in writing of the Excise Commissioner:

Provided that minor additions, minor alterations or repairs of urgent nature may be permitted by the officer-in-charge subject to immediate report and subsequent approval of the Excise Commissioner.

(10) A licence granted or renewed under these rules shall remain in force for the period specified therein, unless it is suspended, cancelled, withdrawn or surrendered earlier.

5. **Arrangement in a winery.-** (1) The licensee of winery shall provide separate room for each of the following purposes:-

(i) Fermentation process.
(ii) Manufacturing Operations.
(iii) Storage of spirit.
(iv) Bottling of Wine.
(v) Storage of manufactured wine in sealed bottles and other receptacles.

(2) No room shall be used for more than one purpose.

(3) Every room shall be well ventilated and all the windows and apertures thereof securely barred and covered with iron grills.

(4) There should be a sign board outside every room, on which the purpose of the room shall be written in oil paint.

(5) All gas and electrical connections within the licensed premises shall be so fixed as to ensure that the supply of gas or electricity can be cut off when required and all the regulators and switches are securely locked at the end of the days work.

(6) There shall be only one entry to and one emergency exit from the licensed premises. Every door inside the winery shall be securely locked with a revenue-lock.

(7) The licensee shall cause to be write in legible letters with oil paint colours on some conspicuous part, name of every vat, mashtun, under back, copper, heating-tank, cooler, fermenting-vessels etc. to be used by him and the purpose for which it is used. Where more than one vat, vessel, room or place is used for the same purpose, they shall bear distinctive serial numbers.

(8) All vats, vessels and other receptacles shall be placed and fixed in such a manner as to ensure that the contents can be accurately ascertained by gauge or measure and shall not be altered in shape, position or capacity unless the officer-in-charge has been informed of that a fortnight ago.

(9) All vats, vessels and receptacles shall be gauged jointly by the officer-in-charge and the licensee and a table shall be prepared which shall show the total capacity of each vessel in liters or kilograms, as the case may be, and the capacity in depth at each centimeter.

(10) No vessel which has been altered in shape, capacity or position shall be taken in use unless it has been regauged and a table prepared as provided in sub- rule (9) above.

6. General conditions binding on the licensee.- (1) The licensee shall manufacture wine according to the approved manufacturing process under sub-rule (7) of rule 3.

(2) Every winery shall be under the control of an Assistant District Excise Officer to be designated as officer-in-charge placed by the Excise Commissioner. More officers of junior ranks shall also be appointed to assist officer-in-charge in his supervisory functions.

(3) Officer-in-charge and other Excise Supervisory staff posted shall be provided with suitable residential accommodation with necessary facilities in the licensed premises or in its close vicinity by licensee as approved by the Excise Commissioner.

(4) The licensee shall provide, for the officer-in-charge a duly furnished office within the licensed premises.

(5) The Excise Supervisory staff working on public holidays or beyond normal working hours shall be paid overtime allowance by the licensee as per scale fixed by the Excise Commissioner.

(6) The licensee shall make proper arrangements for thc treatment and disposal of effluents and all other waste material in the manner laid down by the State Government and Chhattisgarh Pollution Control Board.

(7) The licensee shall get the entire premises including buildings, structures, plant and machinery, insured against fire or accident and he shall arrange for suitable fire safety measures and satisfactory fire-fighting apparatus.

(8) The licensee shall provide and maintain in the licensed premises sufficient and accurate scales, weights, measures, lights, ladders and other appliances as instructed by officer-in-charge or other officer to enable the officer-in-

charge or any other inspecting officer to take account of or to check by weight, gauge or measure, all material work, wash of wine manufactured, vetted, stored or bottled.

(9) The licensee shall have the right of bottling the wine manufactured in the licensed premises.

(10) All the manufacturing operations shall be conducted under proper hygienic conditions. Only pure filtered water shall be used. Under no circumstances any ingredient or materials injurious to human health shall be used at any stage of manufacture.

(11) The licensee shall inform the Excise Commissioner without loss of time if there is discontinuance of manufacture of wine and the reasons thereto.

(12) On receipt of any direction from the Excise Commissioner or any officer authorised by him to remove any defect in building or plant or in the arrangement for fermentation, storage, pasteurization, bottling, issue etc. the licensee shall attend to it at once and shall remove the defect by the date specified therein.

(13) In case where a license is granted in favour of a private or public limited company, it shall be binding on such company to communicate in detail to the licensing authority, any change in the Directors of Company, such as names and addresses within fifteen days of change.

(14) The licensee may appoint any competent person to act as his agent with prior approval of the Excise Commissioner.

(15) The particulars of all persons including their names and qualifications to be employed either as a winer, manager, chemist, technician, labour or in any capacity whatsoever, shall be submitted to the officer-in-charge for approval. No person other than those approved by officer-in-charge shall be permitted to work therein or make entries in the account books.

(16) The licensed premises shall be opened only for the entry or exit of persons who have business therein and authorised to be there in connection with such business. Others may enter only with permission of the officer-in-charge. The officer-in-charge shall have the right to make a person leave the premises if he is engaged in riotous behavior or commit any offence. He shall also have the right to get the person searched before leaving the premises.

(17) The licensee shall immediately report to the officer-in charge in case any condition of licence is breached by any one of his employee.

(18) The licensee shall keep the licensed premises and all the material therein open during the inspection and examination by the officers empowered under Section 51 of the Act. He shall render all possible help in such inspection and examination.

(19) The licensee shall maintain an inspection book paged and stamped by the officer-in-charge in which the inspecting officers may record their inspections, notes or special remarks. After the expiry of licence, the

licensee shall hand over the inspection book, various registers maintained and licence to the officer-in-charge.

(20) By the fifth day of every month the licensee shall submit in Form W-13 an inclusive return of the transactions made in the winery during the preceding month to the officer-in-charge.

(21) Rules of general application and general licence conditions rules framed in exercise of the powers conferred by Section 62 of the Act and all other powers enabling in that behalf shall apply mutatis mutandis to the winery licensee, except such conditions which are either specially provided or are not in any contradiction to the provisions of these rules.

7. **Manufacture of wine.-** (1) The wine shall be manufactured according to the formula and the process of manufacture submitted by the licensee and approved by the State Government.

(2) The spirit required for fortifying wine shall be obtained, stored and utilised in accordance with the rules made under Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996.

8. **Quality control.-** (1) The licensee shall establish a well equipped laboratory within the licensed premises which should be manned by qualified technicians.

(2) Chemical analysis as mentioned below shall be carried out in the laboratory established within the licensed premises:-

(i) The base, water, finings, colouring and flavouring agents, spirit must be tested before they are used in the manufacture of wine.

(ii) Every batch of manufactured wine, before it is transferred to storage vats, must be tested.

(iii) Samples may be drawn form worts or spirit at any stage and tested.

(3) The officer-in-charge may also take samples for analysis in the laboratory located at the Excise Commissioner's office Raipur or any other laboratory as may be directed by the Excise Commissioner on the following occasions:-

(i) When the officer-in-charge apprehends that the manufactured or stored wine is not of the required standard or quality.

(ii) When a random sampling for testing is ordered by the Excise Commissioner.

(iii) When the officer-in-charge himself opts for random sampling for the purpose of testing

(4) If the officer-in-charge believes that the manufactured wine is not of the required quality, he shall not permit it to be transferred to storage vats unless he has got samples of it taken and analyzed at the laboratory mentioned under sub-rule (3).

(5) Any base, water, finings, colouring and flavoring substance that are found to be of sub-standard quality, shall not be used in the process of manufacture.

(6) All manufactured wine found sub-standard, not conforming to IS standard or standards laid down by the Excise Commissioner, or found unfit for human consumption on chemical analysis, shall be rejected and destroyed or

disposed of in the manner as ordered by Excise Commissioner or any other officer authorised by him.

(7) An account of test shall be maintained in the laboratory in Form W-5 and the officer-in-charge shall verify the entries.

(8) Any quantity left over after the test at the licensee's laboratory shall be mixed back with the main bulk .

(9) The samples taken by the officer-in-charge or any other officer authorised under Section 51 of the Act shall be free of cost.

(10) All samples shall be drawn by the licensee in the presence of the officer-in-charge in a manner directed by the Excise Commissioner.

9. **Registers to be maintained by licensee.-** (1) The licensee shall keep an account of all processes and operations undertaken/transacted in the winery including fermentation, manufacture, storage, bottling, issuance of wine from the winery, in the registers as specified below, namely:-

(a) Register of vats, vessels and receptacles in the winery in Form W-4.

(b) Register showing quantity of wine used for analysis in Form W-5.

(c) Register showing the account of flavoring substances used in the manufacture of wine in Form W-6

(d) Register showing the deposit of bottling fee in Form W-7.

(e) Register of transactions in the fermentation room (s) of the winery in Form W-8. This register shall be maintained fermentation room wise. Once the fermentation is complete the fermented material shall be transferred to the manufacturing room and the quantity thus transferred shall be noted in column 7 of the register.

(f) Register of operations in the manufacturing room in the winery in Form W-9.

(g) Register of transactions in the storage room in the winery in Form W-10.

(h) Register of operations in the bottling room in the winery in Form W-11.

(i) Register of receipts and issue from the bottle-store room in Form W-12.

(j) Return of transactions during a month in Form W-13.

(2) In addition to the registers mentioned in clause (i) of sub-rule (1), the licensee shall also maintain any other register, account book containing such details, as directed by the Excise Commissioner from time to time.

(3) All registers prescribed under this rule or by the Excise Commissioner shall be written, completed and initialed daily by the licensee or his authorised agent.

10. **Registration of labels.-** The provisions of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 shall apply mutatis mutandis to registration or de-registration of labels of wine.

11. Supervision charges payable by the licensee.- (1) The licensee shall pay in advance, supervision charges on rate prescribed by the State Government to defray in full or part the expenditure incurred on the salary and other claims of the excise staff posted in winery exclusively for supervision work.

(2) The supervision charges shall be recovered in the district where winery is situated.

12. Bottling fee payable by the licensee.- The licensee shall pay bottling fee, in addition to another fee and duty at such rate as may be prescribed by the State Government.

13. Transport of wine.- (1) All transportations of wine or bottled wine shall be carried out in accordance with the provisions of sub-rule (8) of rule 8 and rule 14 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996.

(2) Transport fee or duty liable on such transport shall be deposited in the district where the licensed premises of the purchasing licensee are situated.

14. Export of wine.- (1) The provisions of rule 12 and 13 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 shall apply for export of wine.

(2) Export-fee payable on all exports shall be deposited in the district issuing export-permit in Form F.L. 22.

15. Import of wine.- (1) Import of wine may be allowed into Chhattisgarh in accordance with the procedure laid down in rule 10 and 11 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996.

(2) Import fee, duty or bottling fee recoverable on such imports shall be recovered in the district issuing no objection certificate (NOC).

16. Issue of wine from the winery.- (1) Bottled wine shall be issued from a winery to the licensee mentioned below, namely:-

(a) to F.L. 10 licensee on payment of transport fee.

(b) to F.L. 11 licensee on payment of duty.

(c) to appropriate licensees of other states on payment of export-fee and execution of a bond in Form F.L. 23.

(d) Foreign liquor warehouse.

(2) Duty, bottling fee, permit fee, transport fee and export fee shall be deposited in the district wherein the licensed premises of the concerned F.L. 10, F.L. 11, W-3, F.L. 2, F.L. 3 licensees are situated.

17. Disposal of balances.- (1) Whenever a licence in Form W-3 ceases to be exist, as a result of its expiration, cancellation or any other reason whatsoever, the former licensee shall immediately place the entire stock of manufactured wine and bottled wine available or stored in the manufacturing-room, storage-room or bottle-store-room as the case may be, at the disposal of the officer-in-charge.

(2) The former licensee shall be given ten days time for bottling the entire stock of manufactured wine available or stored in the manufacturing or storage room.
(3) The bottled wine placed at the disposal of officer-in-charge under sub-rule (1) or manufactured wine bottled under sub-rule (2) shall be disposed off in accordance with sub-rule (6) of rule 18 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 as it is applicable to balance left in similar circumstances with an F.L.9 or F.L. 9-A licensee.
(4) Manufactured wine available or stored in the manufacturing or storage room that remains unbottled even after a period of ten days permitted under sub-rule

(2) above shall be destroyed or disposed of in such a manner as directed by the Excise Commissioner.

18. **Permissible quarterly losses within a winery.-** (1) Verification of the stock at a winery shall be made at such intervals and in such manner as the Excise Commissioner may direct.
(2) The licensee shall submit an account to the Excise Commissioner for all wine manufactured, excluding stock raking:

Provided that in every winery quarterly allowance of five percent loss for wine manufactured shall be made to cover losses on account of racking, storage, pasteurization and other contingencies within the winery. This quarterly allowance shall be calculated on the actual balance in hand at the end of previous quarter plus the quantity since manufactured and received. At the end of the financial year the quarterly figures of such wastages shall be totaled and action against the licensee shall be taken if the actual yearly wastages exceed the permissible limit of five percent.
(3) In blending operations undertaken in a winery an allowance of one percent loss shall be admissible in each operation on the quantity that is added to the vat.

19. **Maximum limit and losses permitted on transport etc.-** (1) The limits of permissible losses of bottled wine during transport or export shall be the same as provided in sub-rule (1), (3) and (4) of rule 16 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996.
(2) If cases of excess losses during the transport or export of bottled wine are reported, provisions of sub-rule (5) of rule 16 of the Chhattisgarh foreign Liquor Rules, 1996 shall apply to settle them.
(3) All cases of wastages of bottled wine stocked within F.L. 6 or F.L. 10 licensee shall be dealt with under sub-rule (2) of rule 17 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996.

Miscellaneous.- (1) Strength at which wine has been bottled shall be declared on the label pasted on the container thereof, however, a deviation margin upto 0.5 degree from the proof strength declared, shall be permissible.

(2) The licensee shall be bound by rule 18 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996.

21. Penalty imposable on contravention of licence conditions.- (1) The Excise Commissioner may impose a penalty not exceeding Rs.50,000 for contravention of any condition of licence granted under these rules or order issued by him and may further impose, in the case of continued contravention, an additional penalty not exceeding Rs.1,000 per day during the period such contravention continues.

(2) On all deficiencies in excess of the limit mentioned in rule 19 of these rules, the licensee shall be liable to pay penalty at a rate not exceeding Rs.5 per bulk litre to be imposed by the Excise Commissioner or any other officer authorised by him.

(3) The penalty imposable under sub-rule (2) may be waived, if the licensee proves that the excess deficiency was owing to unavoidable factors.

22. Repeal and Savings.- All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by theses rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed, in so for as it is not inconsistent with the provisions of these rules, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. MISHRA, Secretary

FORM W-1

[See Rule 3(2)]

APPLICATION FOR LICENCE TO CONSTRUCT AND ESTABLISH A WINERY

To,

Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Commercial Taxes Department, Raipur

Through the Excise Commissioner, Chhattisgarh, Raipur.

I/we.. of.. (Address) request that I/we may be granted licence to construct and work a winery for manufacturing wine. I am/we are enclosing in quadruplicate the site and elevation plans. I/we am/are also enclosing four signed copies of the details of manufacturing process which I/we desire to adopt for the manufacture of wine. Other relevant details are also being furnished below which are true to the best of my/our knowledge and belief -

1. (a) Name and address of the applicant.
   (b) Name, address, of the undertaker.
   (c) Whether Public/Private Ltd. company or Partnership/Proprietary /Firm concern.
2. Capital Structure.
   (a) In Case of Limited Company -
      (i) Authorised
      (ii) Issued
      (iii) Paid up
      (iv) Borrowing if any
   (b) In case of others -
      (i) Capital
      (ii) Borrowing, if any
   (c) Details of proposed investment.-
      (1) Fixed Assets:
         (i) Land
         (ii) Building
         (iii) Plant and Machinery
         (iv) Other, if any
      (2) Working Capital.
3. Location of the Manufactory:

4. Production capacity per annum:

Item of manufacture (1)	Estimated Annual Production (2)

5. Plant and Machinery:
   (i) Value of plant and machinery to be imported or imported origin.
   (ii) Value of plant and machinery of indigenous origin.
6. Raw material required for production:
   (i) Quantity and value of raw material to be imported or imported origin per year.
   (ii) Quantity and value of raw material of indigenous origin per year.
7. Water and Power requirements:
   (i) Particulars of requirements.
   (ii) Whether necessary permissions have been secured.
8. Technical Assistance:
   Whether any foreign collaboration or know-How is envisaged and if so the foreign exchange requirements.
9. Time-frame:
   (i) Time required to secure land, building etc. after the letter of intent is issued.
   (ii) Time required to erect machinery, to complete the construction and to ready the unit for commissioning.
10. Employment Potential:
    (i) Supervisors.
    (ii) Skilled Workers.
    (iii) Un-Skilled Workers.
11. (i) Any special facilities required from the Government.
    (ii) Special features, if any of the scheme.
12. (i) Challan No. and date in support of payment of the prescribed application fee.
    (ii) Whether the Challan in original is enclosed.
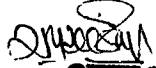
....

(Signature of the applicant with date)

Enclosed:-

(1) The site and elevation plans in quadruplicate.

(2) Signed copies of details of manufacturing process in quadruplicate.

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी/पंजीयन) वि.
मंत्रालय, रायपुर

FORM W-2
[See Rule 3(5)(i)]

From,

Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Commercial Taxes Department, Raipur

To,

....

....

Subject: - Letter of Intent for setting up and working a winery.
Reference:- (1) Your Application No................ dated.....................

The State Government have pursued the scheme submitted with your letter cited above for construction of winery at.............. for manufacturing wine.

(2) The State Government has tentatively decided to approve your proposals for constructing winery for manufacture of wine as per following description/capacity without any commitment for permitting import of machinery, supply of raw material or foreign technical collaboration, subject to fulfillment by you of the formalities laid down in the rules:-

S. No.	Varieties of wine to be manufactured	Quantity to be manufactured per annum
(1)	(2)	(3)

(3) It shall be your sole responsibility to obtain any other licence or permission required for your project under any Act or rule or order of Government of India or Government of Chhattisgarh.

(4) This letter of intent shall be valid for a period of two years only from the date of issue. It shall not, however, create any right in your favour for grant of a licence in Form W-3, and may be cancelled at any time and in that event no compensation or damages shall be payable.

Date.................

Secretary,
Government of Chhattisgarh
Commercial Taxes Department, Raipur

FORM W-3
[See Rule 4(3)]
LICENCE FOR THE MANUFACTURE OF WINE

Under Sub-rule (3) of rule 4 of the Chhattisgarh Winery Rules, 2013 and in pursuance of Letter of Intent No. .... Date.............. issued by the Government of Chhattisgarh, Commercial Taxes Department this licence is hereby granted on a prepayment of annual licence fee of Rs..........to......... authorizing him/it to manufacture and bottle wine at his/its winery situated at........ and specified in the schedule below, during the period form......... to .... subject to following conditions namely:-

(1) The licensee shall abide by the provisions of the Act, rules made there under, conditions of this licence and all directions issued by the Excise Commissioner, Chhattisgarh.

(2) The licensee shall not manufacture wine exceeding the quantity corresponding to maximum annual production of.............. litres during the period mentioned in the preamble.

(3) The licensee shall use the same materials or ingredients and adopt the same process of manufacturing wine as have been approved by the State Government, while issuing letter of intent.

(4) The licensee shall bottle only that wine which has been manufactured at the licensed premises.

(5) The licensee shall pay the bottling fee at the prescribed rate.

(6) The licensee shall use only such labels on bottles/containers as are registered with the Excise Commissioner.

(7) Bottled wine shall be stocked label wise and batch wise in an orderly manner in the stock room.

(8) The licensee shall leave an accessible passage free of packages containing wine in the middle as well as along the walls of the bottle-store-room to facilitate free movement and verification of stock.

(9) The licensee shall not dilute or adulterate wine manufactured, bottled or stored.

(10) The licensee shall, under no circumstances, act in any manner prejudicial to the interests of Government revenue.

(11) On breach of any of the aforementioned conditions, this licence may be suspended or cancelled by the Excise Commissioner.

Excise Commissioner,
Raipur, Chhattisgarh,

Date: ....

SCHEDULE

Description of the site	Boundaries of the licensed premises			
	North	East	South	West
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

FORM W-4

[See Rule 9 (1)(a)]

REGISTER OF VATS, VESSELS AND RECEPTACLES IN THE WINERY

Serial numbers	Description of vats, vessels or receptacles	Gauged contents	When taken into use
(1)	(2)	(3)	(4)

When taken out use	Where installed	Remarks
(5)	(6)	(7)

Signature of the licence

FORM W-5

[See Rule 9 (1)(b)]

REGISTER SHOWING QUANTITY OF WINE USED FOR ANALYSIS

Date of drawing sample	Variety of wine	Batch No.	Quantity taken out for sample
(1)	(2)	(3)	(4)

Quantity used for analysis	Unused Quantity mixed with main bulk	Remarks	Initials of the licensee
(5)	(6)	(7)	(8)

Note:- Quantity shall inva[illegible] shown in litre and milliliters.

FORM W-6

[See Rule 9 (1)(c)]

REGISTER SHOWING THE ACCOUNT OF FLAVORING SUBSTANCES USED IN THE MANUFACTURE OF WINE

Date	Name of Substance	Opening Balance	Quantity Received	Total Quantity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Quantity issued for the manufacture of wine		Closing Balance	Remarks	Signature of the licensee
Variety of wine	Flavoring Substance			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

FORM W-7

[See Rule 9 (1)(d)]

REGISTER SHOWING THE DEPOSIT OF BOTTLING FEE

Date	Opening balance of bottling fee	Bottling fee deposited	Challan no. with date relating to amount shown in column 3
(1)	(2)	(3)	(4)

Total amount of bottling fee deposited (column 2+3)	Number of bottles filled	Bottling fee payable on the bottles shown in column 6
(5)	(6)	(7)

Bottling fee in balance	Remarks	Signature of the licensee
(8)	(9)	(10)

FORM W-8

[See Rule 9 (1)(e)]

REGISTER OF TRANSACTION IN THE FERMENTATION ROOM (S) OF THE WINERY

Date	Vat or vessel No. in which charged	Quantity Charged	Date on which charged i.e. date of commencement of fermentation
(1)	(2)	(3)	(4)

Date of completion of fermentation	Bulk charged in litre	Quantity transferred to manufacturing Room	Remarks	Signature of licensee
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

FORM W-9
[See Rule 9 (1)(f)]
REGISTER OF OPERATIONS IN THE MANUFACTURING ROOM OF THE WINERY

Quantity of fermented material received from the fermentation		
Month & date	Bulk in litres	Strength
(1)	(2)	(3)

Quantity of spirit received from the spirit room and used		
Rectified spirit (with strength)	Absolute alcohol (with strength)	Brandy (with strength)
(4)	(5)	(6)

Wine Manufactured			
Batch No.	Variety of Wine	Qty. in Litres	Strength
(7)	(8)	(9)	(10)

Quantity of Wine Transferred			
Batch No.	Variety of Wine	To storage room in vats (in Ltrs.)	To bottling room (in Ltrs.)
(11)	(12)	(13)	(14)

Quantity of Wine in Balance			
Batch No.	Variety of Wine	Qty. (in Ltrs.)	Strength
(15)	(16)	(17)	(18)

Signature of		Remarks
Licensee	Officer-in-charge	
(19)	(20)	(21)

FORM W-10

[See Rule 9 (1)(g)]

REGISTER OF TRANSACTIONS IN THE STORAGE ROOM IN THE WINERY

Opening Balance			
Month & date	Batch No.	Variety of Wine	Strength
(1)	(2)	(3)	(4)

Quantity of Wine		
Qty. in Ltrs.	Batch No.	Variety of Wine
(5)	(6)	(7)

Received from the Manufacturing room			
Strength	Qty. (in Ltrs.)	Page No. of register in Form W-9	Batch No.
(8)	(9)	(10)	(11)

Quantity of Wine transferred to bottling room		
Variety of Wine	Strength	Qty. (in Ltrs.)
(12)	(13)	(14)

Closing Balance			
Batch No.	Variety of Wine	Strength	Qty. (in Ltrs.)
(15)	(16)	(17)	(18)

Signature of		Remarks
Licensee	Officer-in-charge	
(19)	(20)	(21)

FORM W-11

[See Rule 9 (1)(h)]

REGISTER OF OPERATIONS IN THE BOTTLING ROOM IN THE WINERY

Date	Batch No.	Opening Balance		
		Variefy of Wine	Strength	Bulk Ltr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Quantity of Wine received from the Storage Room				
Batch No.	Variety of Wine	Quantity (in bulk Litres)	Strength	Page No. of register Form W.10
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Quantity of Wine bottled				
Batch No.	Variety of Wine	Quantity (in bulk Litres)	No. of bottle/casks etc.	Contents in each kind of bottles, casks etc.
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Transfer of bottled Wine to the- bottle-store-room			
Batch No.	Variety of Wine	No. of bottle/casks etc. transferred	Contents in each kind of bottles, casks
(16)	(17)	(18)	(19)

Closing Balance				
Batch No.	Variety of Wine	Quantity (in bulk Litres)	No. of bottle/casks	Contents in each kind of bottles, casks etc.
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Remarks	Signature of Licensee
(25)	(26)

FORM W-12

[See Rule 9 (1)(i)]

REGISTER OF RECEIPTS AND ISSUE IN THE BOTTLE-STORE-ROOM

Opening Balance of the Wine			
Month & Date	Batch No.	No. of Bottles/casks/kegs.	Contents in each kind of Bottles/casks/kegs. (in lt./ml.)
(1)	(2)	(3)	(4)

Quantity of Wine			Received from the bottling room	
Batch No.	No. of Bottles/casks/kegs.	Contents in each kind of Bottles/casks/kegs. (in lt./ml.)	Page No. of register in Form W-11	Batch No.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Quantity of Wine issued from storage room					
No. of Bottles/casks/kegs.	Contents in each kind of Bottles/casks/kegs. (in lt./ml.)	Transport/Export permit No.	Name of the party to whom issued	Challan No. Date	Amount of duty paid
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Closing Balance					Signature of Officer-in-charge	Remarks
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

FORM W-13

[See Rule 9 (1) (j)]

RETURN OF RECEIPTS AND ISSUES DURING THE MONTH OF.................

		Opening Balance of wine		
Variety of Wine	Batch No.	Quantity (in bulk ltrs.)	No. of each kind of Bottles/casks etc.	Contents in each kind of Bottles/casks etc.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Manufacture during the month		
Quantity (in bulk ltrs.)	No. of each kind of Bottles/casks etc.	Contents in each kind of Bottles/casks etc.
(6)	(7)	(8)

Total Stock		
Quantity (in bulk ltrs.)	No. of each kind of Bottles/casks etc.	Contents in each kind of Bottles/casks etc.
(9)	(10)	(11)

Quantity Transported		
Quantity (in bulk ltrs.)	No. of each kind of Bottles/casks etc.	Contents in each kind of Bottles/casks etc.
(12)	(13)	(14)

Quantity Exported		
No. of each kind of Bottles/casks etc	Contents in each kind of Bottles/casks etc.	Details of export fee deposited
(15)	(16)	(17)

Total quantity issued in the month		
Quantity (in bulk ltrs.)	No. of each kind of	Contents in each kind of

	Bottles/casks etc.	Bottles/casks etc.
(18)	(19)	(20)

Closing balance in the month			
Quantity (in bulk ltrs.)	No. of each kind of Bottles/casks etc.	Contents in each kind of Bottles/casks etc.	Remarks
(21)	(22)	(23)	(24)

{Signature of the Licensee}

FORM W-14
[See Rule 4(7)]
COUNTER PART-AGREEMENT

This deed is made this.......Day of......... between the Governor of Chhattisgarh acting through the Excise Commissioner, Chhattisgarh [hereinafter called the Governor, which expression shall, unless inconsistent with the subject or context, include his successors in office] on the one hand and M/s. Mr. .... [Hereinafter called the licensee which expression shall, unless inconsistent with the subject or context, include his permitted assigns] on the other.

WHEREAS, a licence has been granted on............ by the Excise commissioner in Form W-3 for the manufacture, bottling and issue of wine to the licensee.

Now, THEREFORE, this deed witness that:-

1. The licensee shall abide by and carry out all his obligations under the terms and conditions of the said licence.
2. The licensee shall always maintain a security deposit of Rs................. with the Excise Commissioner for the due fulfillment of the conditions of the licence.
3. Any penalty imposed on the licensee under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 or the Chhattisgarh Winery Rules, 2013 or any other liability incurred by him under the aforementioned Act or Rules shall be recoverable by the Governor from his security deposit or any amount due to him or any movable and in movable property belonging to him as arrears of land revenue without prejudice to any other legal remedy the State Government may seek for the purpose.

In witness whereof the parties hereto have signed this deed on the date respectively mentioned against their signature.

Excise Commissioner
(On behalf of the Governor of Chhattisgarh)

Witness
1. ....
2...............................

Date: ....
Licensee

Witness
1................................
2...............................

Full Name and Address
Date: ....

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.